FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0068 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/03/2026 21:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 12/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:23 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/03/2026 **Time (समय):** 21:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/03/2026 21:34:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHASIL KARAYALAY BASSI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAKESH KUMAR SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMKARAN SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PACHOLIYO KA BAS, MANSAR KHERI, BASSI, BASSI(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PACHOLIYO KA BAS, MANSAR KHERI, BASSI, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIKARM BUNKAR		पिता:SADHURAM BUNKAR	1. BARADERA,JAMWARAMGARH, JAIPUR
2	ASHOK SHARMA		पिता:GAURISHANKAR SHARMA	1. SAMRIYA ROAD KANOTA,KANOTA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

दिनांक 09.03.2026 को परिवादी राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी पचोलियो का बास मानसर खेडी तह. बस्सी जिला-जयपुर ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB चौकी जयपुर ग्रामीण विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत महोदय निवेदन है की राजस्व ग्राम मानसर खेडी में मेरे पिताजी श्री रामकरण शर्मा व मेरे चाचाजी श्री भगवान सहाय शर्मा की शामालाती जमीन है जिसका हमे आपसी सहमती से तकाशमा करवाना है तकाशामा के लिए में भाई श्री श्रवण शर्मा ने तकाशमा से सम्बन्धित कागजात हमारे पटवार हल्का के पटवारी विक्रम बुनकर को दिये इस पर पटवारी विक्रम बुनकर ने मेरे भाई को कहा की इस काम के 50000 पचास हजार रू. तहसिलदार जी को देने पडगे और मेरा खर्चा पानी अलग है जिसके पश्चात मेरा भाई वहाॅ से आ गया तथा पटवारी द्धारा मांगी गई रिश्वत के बारे में मेरे पिताजी व चाचाजी को अवगत करवाया इस पर कल दिनांक 08-03-2026 को मेने मेरे मोबाईल नं. से पटवारी विक्रम बुनकर के मो.न. पर वार्ता की तथा हमारे तकाशमे के बारे में बातचीत की तो पटवारी श्री विक्रम बुनकर ने मुझे अपने पास बातचीत के लिए बुलाया है मेरे पिताजी के रीड की हडडी फ्रेक्चर होने के कारण अशवस है तथा मेरे चाचाजी कागजात के बारे में नहीं समझते है इस कारण में इस तकाशमें की कार्यवाही को करवा रहा हु। और पटवारी द्धारा मुझे बुलाया गया है और वह मेरे से हमारे जायज काम की एवज में उक्त पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हु और रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हु। मेरी रिर्पोट पर कानुनी कार्यवाही करने का श्रम करे। प्रार्थी राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी पचोलियो का बास मानसर खेडी तह. बस्सी जिला-जयपुर मो.नं. उक्त शिकायत पर मन अति.पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर ग्रामीण जयपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के क्रम में प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजीद दरियाफत करने पर परिवादी श्री राकेश शर्मा ने बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरा स्वयं के हस्तलेख से है तथा मैने दिनांक 06.03.2026 को समय एएम पर 1064 पर कॉल किया तो उन्होने मुझे आपके मोबाईल नंबर दिये ओर बताया कि हम आपके नंबर भी अति.पु. अधीक्षक श्री सुनील सिहाग को दे रहे है जिस पर मेरे मोबाईल पर आपने मेरे से बातचीत की ओर मुझे कार्यालय आने के लिये कहा। उक्त प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया जिस पर दिनांक 09.03.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाई गई। परिवादी श्री राकेश कुमार शर्मा एवं आरोपी श्री विक्रम बुनकर पटवारी तथा श्री अशोक शर्मा ग्राम प्रतिहारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी राकेश कुमार शर्मा के तकास्मा करने की ऐवज में 30000 रूपये की रिश्वती राशि की मांग करना परिवादी एवं आरोपीगण श्री विक्रम बुनकर पटवारी तथा श्री अशोक शर्मा ग्राम प्रतिहारी के मध्य दिनांक 09.03.2026 को हुई रिकार्ड वार्ता से सत्यापित हुई।दिनांक 12.03.2026 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आयोजित किये जाने हेतु परिवादी श्री राकेश कुमार शर्मा ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30000रू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पेश किये जिस पर अलमारी से फिनोलफ्थलीन पाउडर निकलवाया जाकर उक्त रिश्वती राशि पर लगवाया गया। तत्पश्चात उक्त पाउडर लगे नोट परिवादी राकेश शर्मा के पहने हुये पेंट की दाहिनी जेब में श्री संदीप कुमार नं. 93 से फिनोलफ्थलीन पाउडर उक्त 30000 रूपये की भारतीय मुद्रा के रखवाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर व सुपुदर्गी नोट एवं डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार की गई। समय 12.00 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ उपरोक्त परिवादी स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी सामान सरकारी वाहनों व परिवादी की कार के ब्यूरो कार्यालय से बस्सी रवाना हुआ। जयपुर से रवाना होकर बस्सी तहसील कार्यालय के पास पहुंचे तथा सरकारी वाहनों तथा परिवादी के वाहन को साईड में रूकवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करके तहसील कार्यालय की ओर पैदल पैदल भिजवाया गया। उसके पीछे पीछे ओमप्रकाश हैड कानि. व श्री चांदमल स.उ.नि. व बन्नाराम कानि. को भिजवाया पीछे पीछे मन् टीएलओ भी मय दोनो स्वतंत्र गवाह के साथ तहसील कार्यालय में पहुंचा जहा पर परिवादी कार्यालय भू.अ.नि. एवं पटवारीयान बस्सी के कक्ष में प्रवेश कर गया मन टीएलओ मय हमराहीयान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी द्वारा तय मुकर्रर ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। समय करीब 01.23 पीएम पर परिवादी का मुकर्र ईशारा पाते ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को साथ लेते हुये कार्यालय भू.अ.नि. एव पटवारीयान बस्सी के पास पहुंचा जहां पर गेट पर खड़े हुये परिवादी श्री राकेश शर्मा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया की मैं विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर चालू करके तहसील कार्यालय में पहुंचा जहां स्थित भू अभिलेख निरीक्षक/पटवार पटवारी कार्यालय में मुझे पटवारी श्री विक्रम बनुकर व उसके पास बड़े श्री अशोक शर्मा मिले। मैने श्री अशोक शर्मा जो ग्राम पंचायत मानसर खेडी के पटवारी के साथ कार्य करता है। उससे बात की ओर फिर मैंने पटवारी श्री विक्रम बुनकर से मेरे कार्य के बारे में बात की तो अशोक शर्मा ने पटवारी जी को कहा की ये पैसे लेकर आये है। तो पटवारी ने कहा की में पैसे काम होने के बाद लूंगा तथा पटवारी ने कहा की अशोक से बात करलो अशोक ही करेगा। अशोक ने मुझे कहा की दो बिल बुक भरने के बाद आ रहा हूँ। मैं कार्यालय से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद अशोक शर्मा मेरे पास आया तो मैंने पाउडर युक्त 500-500 रूपये के कुल राशि 30000रू अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से निकालकर अशोक शर्मा को दे दी। अशोक शर्मा ने अपने दाहिने हाथ से लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेट की बायी साईड की आगे को जेब में रख लिये है और श्री अशोक शर्मा अभी कार्यालय में ही मौजूद है और पटवारी श्री विक्रम बुनकर यही तहसील कार्यालय में कमरों की तरफ गया है इस पर परिवादी द्वारा ईशारे किये व्यक्ति को हमराह जाप्ते की मदद से स्वतंत्र गवाहन के समक्ष पकड़ा और परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वति राशि के बारे में पूछते हुये उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम अशोक शर्मा ग्राम प्रतिहारी होना बताया तथा रिश्वति राशि स्वयं की पेंट की सामने की बांयी जेब में होना बताया चूंकि रिश्वति राशि श्री विक्रम पटवारी के कहने पर श्री अशोक शर्मा द्वारा परिवादी से प्राप्त की जा चुकी है तथा तहसील कार्यालय में एसीबी टीम द्वारा कार्यवाही की भनक लगने का अंदेशा है अतः श्री विक्रम पटवारी की तलाश अतिशीघ्र आवश्यक है इस पर मन टी.एल. ओ द्वारा स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में श्री चांदमल स.उ.नि. को श्री अशोक शर्मा को यथास्थिति में खड़े रखने निगरानी की हिदायत देकर परिवादी श्री राकेश शर्मा को हमराह लेकर पटवारी श्री विक्रम की तलाश तहसील कार्यालय के कमरों में आरम्भ की थोडी देर में तहसील कार्यालय के बरामदे में परिवादी श्री राकेश शर्मा ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि यही विक्रम पटवारी है इस पर हमराह जाप्ता की मदद से श्री विक्रम पटवारी को रोका तथा नाम पूछा तो अपना नाम श्री विक्रम बुनकर पटवारी होना बताया जिसे हमराह लिया गया और श्री चांदमल स.उ.नि. तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्व से निगरानीशुदा श्री अशोक शर्मा के पास गया। तत्पश्चात डिटेन किये गये उक्त दोनों व्यक्तियों को तहसीलदार के कक्ष में हमराह जाप्ता की मदद से ले जाया गया जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व अपनी पार्टी का परिचय देते हुये श्री अशोक शर्मा से पूरा परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम श्री अशोक शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी सामरिया रोड कानोता हाल ग्राम प्रतिहारी (पटवारी का सहायक) ग्राम पंचायत होना बताया। श्री अशोक शर्मा से परिवादी से रिश्वती राशि लेने वाबत पूछा गया तो उसने बताया की श्री राकेश शर्मा ने अभी अभी मुझे 500-500 के नोट 30000रू दिये है जो मैने गिनकर अपनी पहनी हुई पेट की बाई जेब में रख लिये है। रिश्वत राशि किस काम के लिये ली है के बारे में पूछने में बताया की में ग्राम पंचायत मानसर खेडी तहसील बस्सी में ग्राम प्रतिहारी के रूप में कार्य करता हूँ। इनका तकासमा बनाना था। पटवारी को देने के लिये पैसे लिये है। फिर अशोक शर्मा से पूछा गया की कौन से पटवारी को पैसे देने के लिये है। तो अशोक शर्मा ग्राम प्रतिहारी ने कुछ नही कहा और नीचे देखने लग गया। पुनः तसल्ली देकर पूछा गया तो बोला की नाम नहीं बताया है किस पटवारी को देना है। पास में बैठ परिवादी ने आरोपी की वार्ता को खण्डन करते हुये बताया की अशोक जी झूठ बोल रहे हे। मेरा तकासमा बनाने के लिये पटवारी श्री विक्रम बुनकर ने 30000रू मांगे थे जो मेने उनके कहने पर अशोक शर्मा को दिये है। रिश्वती राशि लेने की पुष्टि होने पर आरोपी श्री अशोक शर्मा के दोनो हाथ कलाईयो से उपर पकडवाये गये। तत्पश्चात श्री विक्रम बुनकर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व ट्रेप पार्टी सदस्यों का परिचय देते हुये उसका नाम व रिश्वती राशि दिलाने बाबत पूछा गया तो उसने अपना नाम विक्रम बुनकर पुत्र श्री सादूराम बुनकर निवासी ग्राम बाडाडेरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का झर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का मानसर खेडी तहसील होना बताया रिश्वती राशि के बारे में बताया की मैने परिवादी से कोई रिश्वती राशि नही मांगी है। ये आप अपने पिताजी के हस्ताक्षर करवाके ले आओ में आपका काम ऐसे ही कर दूंगा। मैने अशोक शर्मा को पैसे देने के लिये नहीं कहा। पास में खडे परिवादी ने बताया की पटवारी जी झूठ बोल रहे इन्होंने दिनांक 10.03.2026 को दौराने सत्यापन मुझसे मेरे तकासमे बनाने के 30000रू मांगे थे। मैं इनके मांग के अनुसरण में पाउडर युक्त 30000रू इनके कहने पर अशोक शर्मा को दिये है। तत्पशचात आरोपी श्री अशोक शर्मा ग्राम प्रतिहारी व आरोपी श्री विक्रम बुनकर को तहसील कार्यालय में तहसील दार के कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् श्री होशियार सिंह कानि. से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स से दो प्लास्टिक डिसपोजल के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक प्लास्टिक डिसपोजल के गिलास के घोल में आरोपी अशोक शर्मा के बाए हाथ व दाहिने हाथ को दोनो गिलामो में भरे मोडियम कार्बोनट के घोल में डुबोकर धोवन लिया गया तो दोनो हाथो से प्राप्त धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो-दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर सोल चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर

करवाकर मार्क R-1 R-2 व L-1 L-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी अशोक शर्मा को रिश्वती राशि पेश करने के लिये कहा तो आरापी ने अपनी पहनी हुई पेट की बाई साईड की जेब से पांच पांच सों के नोटो की थेई को निकालकार पेश की गई। जिनको स्वतंत्र गवाह श्री खुशनूद को दिलवाये जाकर गिनवाये गये तो 500-500 के 60 नोट कुल 30000रूपये होना पाया गया। जिनको दोनो स्वतंत्र गवाहों से पूर्व में बनी फर्द सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो नोटो के नंबर हुबहू पाये गये। उक्त 30000 रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त नोटो के नबरां को फर्द में अंकित किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री अशोक शर्मा द्वारा पहनी हुई पेंट को उतरवाकर उसको लोवर पहनाया गया तत्पश्चात श्री बन्नाराम कानि. के हाथ से ट्रेप बाक्स से एक प्लास्टिक के नये गिलास निकलवाकर साफ साबुन पानी से धुलवाये जाकर एक प्लास्टिक के गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया गया। उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी श्री अशोक शर्मा की पहनी हुई ब्लू कलर की जींस की पेंट की बाई जेब में जिस में रिश्वती राशि बरामद हुई को उथल कर प्लास्टिक के गिलास में धुलवाई गई तो प्राप्त धोवन हल्का गुलाबी हो गया जिनको दो कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर व मार्क P-1, P-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री अशोक शर्मा की पेंट की साईड की बायी जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर ब्लू कलर की जींस को एक सफेद कपडे की थेली में डालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर व सील चीट कर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के कार्य के बारे में आरोपी श्री विक्रम बुनकर से पूछा गया तो बताया की मेरे पास श्री राकेश शर्मा के तकासमे के कागज नही है। मेरे पास ग्राम पंचायत मानसर खेडी का अतिरिक्त चार्ज हाल ही में आया है। ग्राम पंचायत मानसर खेडी का कार्य अशोक शर्मा ही देखते है। क्योंकि मेरे से पूर्व पटवारी श्री रामलाल जी शर्मा मानसर खेडी के पटवारी थे उससे पहले से ही पटवारी हल्का मानसर के सहायक के रूप में अशोक शर्मा ही कार्य देखते है। इसके कार्य से संबंधित दस्तावेज इन्ही के पास है। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक शर्मा ग्राम प्रतिहारी से परिवादी के दस्तावेजो के बारे में पूछा गया तो इसने बताया की ग्राम मानसर खेडी का पटवारी के सहायक के रूप में मैं ही कार्य करता हू। मै पटवार हल्का कानोता में मार्च 2025 में ग्राम प्रतिहारी तहसील बस्सी से नियुक्त हुआ था। उसके बाद मार्च 2025 में परिवर्तित होना था। मैं प्रारम्भ से पटवार हल्का मानसर खेडी में ग्राम प्रतिहारी के रूप कार्य कर रहा हू। इसके एवज में मुझे राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष अप्रेल में 15000रू मिलते है। जो पूर्व में भी मुझे वित्तीय वर्ष 2025 में मेरे खाते में 15000रू राज्य सरकार से प्राप्त हुये थै। परिवादी के कार्य के बारे में बताया की इसके भाई द्वारा मुझे तकासमा के कागजात देते हुये इनके परिवार के आधार कार्ड व जमाबंदी दी थी। इनके आधार पर मैने नजरिया नक्शा तैयार किया व विभाजन पत्र भरे है। जो भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय की अलमारी जिसकी चाबी मेरे पास रहती है। उसमे रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह के साथ आरोपी श्री अशोक शर्मा को साथ लेकर भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय में ले पहुचें। व एक लोहे की अलमारी जिसमें चाबी लगी हुई खुली थी। जिसमें से आरोपी अशोक शर्मा ने परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज अलमारी से निकालकर पेश किये जिनका अवलोकन किया मौके पर तहसीलदार रमेश चन्द को बुलाया गया उन्होने बताया की उक्त दस्तावेज तकासमे से संबंधित दस्तावेज है जो आधे अधूर है तकासमे का आवेदन ऑनलाईन किया जाता है। उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर पटवारी के समक्ष होते है। चूंकि श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजों पर किसी प्रकार का कार्यालय संबंधित अंकिन नहीं है तथा किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही भी नही की गई है। अतः परिवादी के कार्य से संबंधित उक्त दस्तावेजात का पृष्ठाकंन 1 से 19 तक कर स्वतंत्र गवाहान व आरोपीगण व परिवादी के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री गौरीशंकर शर्मा का तहसील कार्यालय बस्सी में ग्राम प्रतिहारी नियुक्त करने व मानदेय 15000रू देने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश की प्रति मांगी गई तो श्री मदन मोहन मीणा अतिरिक्त आफिस कानूनगो बस्सी ने कार्यालय तहसीलदार भू.अभिलेख के आदेश क्रमांक 1628 दिनांक 28.03.2026 के द्वारा वर्ष 2024-25 में श्री अशोक शर्मा को ग्राम पंचायत कानोता में ग्राम प्रतिहारी नियुक्त करने के आदेश व प्रमाण पत्र की तहसीलदार श्री रमेश चन्द से प्रमाणित करवाकर पेश की गई। जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त आदेश की क्रम संख्या 19 पर श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री गौरीशंकर का नाम अंकित है। पटवार हल्का मानसर खेडी के आदेश के बारे में पूछा गया तो बताया की वित्तीय वर्ष के अंत मे आदेश जारी होते है। जो अभी मार्च के अंत में आदेश जारी होने थे। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति शामिल कार्यवाही की गई। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त ट्रेप कार्यवाही के मौके की विडियोग्राफी करवाई गई। जिसकी मेमौरी कार्ड पृथक से सील चीट किया किया गया। अब तक की कार्यवाही से श्री विक्रम बुनकर पुत्र श्री साधूराम बुनकर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बाडाडेरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार झर अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण ने परिवादी श्री राकेश कुमार शर्मा से उसके तकासमा बनाने की एवज में 30000रू मांग करना मांग के अनुसरण में आज दिनांक 12.03.2026 को रिश्वती राशि 30000रू श्री अशोक शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा उम्र 32 वर्ष

निवासी सामरिया रोड कानोता हाल ग्राम प्रतिहारी (पटवारी का सहायक) ग्राम पंचायत पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर ग्रामीण को दिलाना व अशोक शर्मा ने30000रू अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की बायी साईड की जेब में रखना व रिश्वती राशि 30000रू उसकी पहनी हुई पेंट की आगे की बायी जेब से बरामद होना व परिवादी के तकासमा संबंधी कार्य के दस्तावेज बरामद उपरोक्त आरोपीगण का उपरोक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 61(2) बीएनएस 2023 का पाया जाने पर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में आरोपी के दोनो हाथो के धोवन शिल्ड शुदा शिशियां मार्क R-1 R-2 L-1 L-2 आरोपी की पहनी हुई की पेंट की आगे की बायी साईड की जेब के धोवन की शिल्ड शुदा शिशियां मार्क- P-1 P-2 एवं आरोपी की पहनी हुई पेंट का शील्ड शुदा पेकेट मार्क P एवं आरोपी से बरामद रिश्वती राशि 30000 रूपये को बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मौके की कार्यवाही की विडियोग्राफी करवायी गयी जिसको मेमोरी कार्ड DAICHI 32 जीबी तैयार की जाकर शील चीट की जायेगी। कार्यवाही मे जप्त किये गये आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई । विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.03.2026 तथा रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 12.03.2026 की की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विक्रम बुनकर पुत्र श्री साधूराम बुनकर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बाडाडेरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार झर अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर ने परिवादी श्री राकेश कुमार शर्मा से उसके तकासमा बनाने की एवज में 30000रू मांग करना मांग के अनुसरण में आज दिनांक 12.03.2026 को रिश्वती राशि 30000रू श्री अशोक शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी सामरिया रोड कानोता हाल ग्राम प्रतिहारी (पटवारी का सहायक) ग्राम पंचायत पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर को दिलाना व अशोक शर्मा ने 30000रू अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की बायी साईड की जेब में रखना व रिश्वती राशि 30000रू उसकी पहनी हुई पेंट की आगे की बायी जेब से बरामद होना व परिवादी के तकासमा संबंधी कार्य के दस्तावेज बरामद उपरोक्त आरोपीगण का उपरोक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018, 61(2) बीएनएस 2023 में कारित किया जाना पाया पाया गया है। अतः श्री विक्रम बुनकर हाल पटवारी पटवार झर अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर व श्री अशोक शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी सामरिया रोड कानोता हाल ग्राम प्रतिहारी (पटवारी का सहायक) ग्राम पंचायत पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ग्रामीण जयपुर।.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1- श्री विक्रम बुनकर पुत्र श्री साधूराम बुनकर, उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बाडाडेरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार झर अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर एवं 2- श्री अशोक शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी सामरिया रोड कानोता हाल ग्राम प्रतिहारी (पटवारी का सहायक) ग्राम पंचायत पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू. जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 645 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 479-82 दिनांक 14.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01, जयपुर 2- जिला कलक्टर, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAGHUVEER SHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/03/2026 21:40:31

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)